

डेली करेंट अफेयर्स

UPSC & PCS

के लिए महत्त्वपूर्ण समसामयिकी

07/10/2026

- मालधारी
- चमखरछू-I जलविद्युत परियोजना
- लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष
- एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व
- भारतीय प्रेस परिषद
- ब्यूबोनिक प्लेग
- ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध
- नामेरी बाघ अभयारण्य
- M51.3 मिसाइल
- उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट
- ₹90,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन

दिल्ली केंद्र : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

मालधारी

चर्चा में क्यों



गुजरात सरकार ने पोरबंदर एवं देवभूमि द्वारका ज़िलों में स्थित बरड़ा वन्यजीव अभयारण्य से मालधारियों के स्वैच्छिक पुनर्वास की योजना की घोषणा की है क्योंकि इस क्षेत्र को एशियाई शेरों के दूसरे आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है।

समुदाय एवं आजीविका



- मालधारी अर्ध-घुमंतू पशुपालक समुदाय हैं जो मुख्य रूप से गुजरात के बन्नी घास के मैदानों, गिर वन और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- 'मालधारी' शब्द का अर्थ 'पशुधन का रखवाला' होता है जो मवेशियों, भेड़ों, बकरियों एवं ऊँटों पर उनकी पारंपरिक निर्भरता को दर्शाता है।
- उनकी आजीविका में दूध, घी, ऊन एवं हस्तशिल्प शामिल हैं जिनका स्थानीय बाज़ारों में व्यापार किया जाता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताएँ

- महिलाएँ पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पारंपरिक कढ़ाई तथा कलात्मक कौशल के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं।
- मालधारी परंपरागत रूप से सिंधी बोली की कच्छी बोलते हैं।
- इस समुदाय में मुख्यतः मुस्लिम लोग हैं। लगभग 90% लोग मुस्लिम समुदायों से संबंधित हैं और शेष मुख्यतः हिंदू हैं।

चमखरछू-I जलविद्युत परियोजना



चर्चा में क्यों

अडानी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) ने भूटान में 770 MW की चमखरछू-I जलविद्युत परियोजना विकसित करने के लिए शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भौगोलिक एवं तकनीकी विवरण

- यह भूटान के मध्य भाग के जेमखर जिले में चमखरछू नदी पर स्थित 770 MW की रन-ऑफ़-रिवर जलविद्युत परियोजना है।
- इसके प्रमुख घटकों में 108 मीटर ऊँचा कंक्रीट गुरुत्व बाँध, 19.2 किमी लंबी जलप्रवेश सुरंग और भूमिगत विद्युतगृह शामिल हैं।
- यह परियोजना निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं हस्तांतरण (BOOT) मॉडल के तहत संचालित होगी, जिसमें वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद 30 वर्षों की रियायत अवधि होगी।

ऊर्जा व क्षेत्रीय महत्त्व

- इस परियोजना से भूटान को सर्दियों में बिजली की अधिकतम मांग पूरी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- गर्मियों के दौरान अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जा सकती है, जिससे भारत–भूटान ऊर्जा सहयोग मजबूत होगा।

स्वामित्व और साझेदारी

- इस परियोजना में 49:51 की इक्विटी साझेदारी है। अदाणी पावर के पास 49% और भूटान की DGPC के पास 51% हिस्सेदारी है।

- यह व्यवस्था एक भारतीय निजी बिजली कंपनी और भूटान की सरकारी पॉवर यूटिलिटी के बीच सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है।

लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष

PM India

Cabinet approves Commitment of Rs.10,000 Crore towards establishment of the SME Growth Fund for direct equity investments in Small and Medium Enterprises to create…



The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the Government of India's commitment of Rs.10,000 crore...

चर्चा में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष (SGF) की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर से ₹10,000 करोड़ देने की प्रतिबद्धता को मंज़ूरी दी।

संस्थागत संरचना



- लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष का उद्देश्य भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को विकासोन्मुख पूंजी उपलब्ध कराना है।
- यह वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में ₹10,000 करोड़ का प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश कोष होगा।
- इस कोष का उद्देश्य विकास और विस्तार के महत्वपूर्ण चरणों में उद्यमों को सहायता देना है।

क्षेत्रीय एवं भौगोलिक प्राथमिकता

- इस निधि का एक बड़ा हिस्सा विनिर्माण-केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को सहायता देने के लिए आवंटित किए जाने की उम्मीद है।

- यह टियर-II एवं टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में स्थित लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी लक्षित करेगा।
- यह निधि विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार-प्रेरित रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।

आर्थिक महत्त्व

- इस पहल से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और विनिर्माण क्षमता के विस्तार में सहायता मिलने की उम्मीद है।
- इसका उद्देश्य भारतीय उद्यमों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।
- यह क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है।

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण


The Hindu

Cabinet clears apex body to handle roads, rail, ports as one network

The Union Cabinet on Tuesday (October 6, 2026) approved a Special Purpose Vehicle — the Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA)...

चर्चा में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स योजना के लिए विशेष संस्थागत तंत्र के रूप में एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी।

संस्थागत अधिदेश

- ITLA परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, प्रभाव आकलन व नीतिगत सहायता के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।



- यह 10 वर्ष या उससे अधिक की योजना अवधि वाली राष्ट्रीय परिवहन मास्टर योजना तैयार करेगा।
- इस योजना में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह व नौवहन, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन, शहरी आवागमन और लॉजिस्टिक्स शामिल होंगे।

परियोजना मूल्यांकन और समन्वय

- आईटीएलए (ITLA) राष्ट्रीय परिवहन मास्टर योजना के अनुरूपता के लिए लगभग पाँच वर्ष की अवधि वाली अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं और परिवहन मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं का आकलन करेगा।
- यह भारत सरकार की ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा।
- यह ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परिवहन एवं अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करेगा और उनके प्रभाव का आकलन करेगा।

डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स शासन

- राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार (NTDR), GSTN ई-वे बिल, फास्टैग (FASTag), वाहन (Vahan), GPS-आधारित प्रणालियों और शहरी यातायात-प्रबंधन प्रणालियों से डेटा को एकीकृत करेगा।
- एकीकृत डेटासेट माल-परिवहन प्रवाह विश्लेषण, उद्गम-गंतव्य विश्लेषण, परियोजना निगरानी और प्रभाव आकलन में सहायता करेंगे।

नीति एवं नवाचार की भूमिका

- आईटीएलए (ITLA) का उद्देश्य परिवहन क्षेत्रों में बहु-माध्यमीय अवसंरचना नियोजन को बढ़ावा देना है।
- यह परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स में अनुसंधान और नवाचार को समर्थन देगा।
- इस संस्थागत ढाँचे का उद्देश्य खंडित क्षेत्रीय नियोजन को कम करना तथा लॉजिस्टिक्स की दक्षता और समन्वय में सुधार करना है।

- ITLA राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 की समीक्षा और अद्यतन करने में सहायता करेगा।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व



चर्चा में क्यों

पूर्व में नौरादेही के नाम से प्रचलित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (VDTR) में मध्य प्रदेश सरकार राज्य का तीसरा चीता आवास स्थापित करने की योजना बना रही है। चीतों के पहले युगल को वहाँ छोड़ा जाना निर्धारित है।

अवस्थिति एवं भूदृश्य

- VDTR मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर ज़िलों में फैला हुआ है।
- इसमें नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- यह अभयारण्य लगभग 2,339 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है और ऊपरी विंध्य पर्वतमाला के हिस्से के रूप में बने एक पठार पर स्थित है।
- यह दक्कन प्रायद्वीपीय जैव-भौगोलिक क्षेत्र में आता है।

नदी प्रणालियाँ

- यह अभयारण्य नर्मदा एवं यमुना नदी घाटियों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है।

ऐतिहासिक एवं संरक्षण संबंधी महत्त्व

- इस अभयारण्य का नाम गोंड लोगों की रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।
- सिंगौरगढ़ किला अभयारण्य के भीतर स्थित है।
- इसके विस्तृत घास के मैदान और विविध भू-दृश्य इसे भारत के चीता संरक्षण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

- कोपरा, बैनर (बन्नेर) एवं ब्यारमा (बेरमा) नदियाँ संरक्षित क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं और केन की सहायक नदियाँ हैं।
- अभयारण्य के दक्षिणी भाग से निकलने वाली छोटी धाराएँ नर्मदा नदी की ओर बहती हैं।

जैव-विविधता प्रोफ़ाइल

- यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन, साजा, धौरा, बेर और आँवला यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में शामिल हैं।
- यहाँ के जीव-जंतुओं में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, भारतीय लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्घा, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर और काला हिरण शामिल हैं।
- यह अभयारण्य सफ़ेद पूँछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध के बचे हुए प्रमुख आश्रयस्थलों में से एक है। शिकार करने वाले ये दोनों पक्षी अतिसंकट ग्रस्त हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

The Indian Express

Press Council of India operating at half strength, without a single working journalist or newspaper editor

THE COUNTRY'S key media watchdog, Press Council of India (PCI), has been operating at half its sanctioned strength for nearly a year now and...



चर्चा में क्यों

भारतीय प्रेस परिषद (PCI) लगभग एक वर्ष से अपनी स्वीकृत सदस्य संख्या के करीब आधे सदस्यों के साथ काम कर रही है और इसमें कोई सेवारत कार्यरत पत्रकार या समाचारपत्र संपादक नहीं है।

कानूनी एवं संस्थागत स्थिति

- भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है।
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत 1979 में इसे फिर से स्थापित किया गया था।

- इसके मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना हैं।

संरचना

- इसका अध्यक्ष आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और उनको एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और परिषद का एक निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- परिषद में 28 सदस्य हैं जिनमें कार्यरत पत्रकारों, समाचारपत्रों के मालिकों/प्रबंधकों और समाचार एजेंसी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- 13 सदस्य कार्यरत पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें 6 संपादक और 7 अन्य कार्यरत पत्रकार शामिल हैं।
- 5 सदस्य संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें से 3 लोकसभा अध्यक्ष और 2 राज्यसभा सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं।

अतिरिक्त प्रतिनिधित्व

- समाचारपत्रों के मालिकों या प्रबंधकों के 6 प्रतिनिधि हैं जो बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 1 सदस्य समाचार एजेंसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- शिक्षा, कानून एवं साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यों को क्रमशः यूजीसी, भारतीय बार काउंसिल व साहित्य अकादमी के माध्यम से नामित किया जाता है।

अर्ध-न्यायिक कार्य

- पीसीआई (PCI) समाचार-पत्रों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करता है और पत्रकारों तथा समाचार-पत्रों के लिए आचार-संहिता विकसित करता है।
- यह उन घटनाक्रमों की समीक्षा करता है जो जनहित की खबरों की आपूर्ति एवं प्रसार को सीमित कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाने पर यह समाचारपत्रों या समाचार एजेंसियों को विदेशी सहायता से जुड़े मामलों की समीक्षा कर सकता है।
- यह पत्रकारिता की नैतिकता से संबंधित प्रेस के विरुद्ध शिकायतों और प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से संबंधित प्रेस की शिकायतों पर निर्णय करता है।

ब्यूबोनिक प्लेग

The Economist

The plague may have escaped from a lab in Siberia

A researcher's death at a Siberian plague research institute sparks global concern about potential lab leaks and Russia's biological weapons...



चर्चा में क्यों

ब्यूबोनिक प्लेग एक महत्वपूर्ण पशुजन्य (जूनोटिक) रोग का विषय बना हुआ है क्योंकि यह येरसिनिया पेस्टिस (Yersinia pestis) नामक जीवाणु से जुड़ा हुआ है, संक्रमित पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है और ऐतिहासिक रूप से इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक रही है।

रोगकारक और प्रकृति

- प्लेग एक संक्रामक जूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला) रोग है। यह येरसिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सुओं में पाया जाता है।
- ब्यूबोनिक प्लेग की पहचान लसीका ग्रंथियों में सूजन से होती है जिन्हें गिल्टियाँ कहा जाता है।
- ऐतिहासिक रूप से इस बीमारी के कारण 'ब्लैक डेथ' महामारी फैली थी, जिसने मध्ययुगीन यूरोप में लाखों लोगों की मौत हो गई थी।

रोग के प्रमुख नैदानिक रूप

- ब्यूबोनिक प्लेग मुख्य रूप से लसीका तंत्र को प्रभावित करता है और इसकी विशेषता गांठें बनना है।
- सेप्टिसेमिक प्लेग तब होता है जब संक्रमण पूरे रक्तप्रवाह और शरीर में फैल जाता है।
- न्यूमोनिक प्लेग तब होता है जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और यह श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है।

प्रसार एवं लक्षण

- येरसिनिया पेस्टिस का प्रसार मुख्यतः कृंतकों एवं अन्य जानवरों से जुड़े संक्रमित पिस्सुओं के काटने से होता है।
- संक्रमित ऊतकों के सीधे संपर्क में आने या संक्रमित श्वसन बूंदों को साँस के ज़रिए अंदर लेने से भी संक्रमण फैल सकता है।
- ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण सामान्यतया 2 से 8 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं।

- सामान्य लक्षणों में अचानक बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, शरीर में दर्द और लसीका ग्रंथियों में सूजन शामिल हैं।

मृत्यु-दर और उपचार

- उपचार न किए जाने पर ब्यूबोनिक प्लेग की मृत्यु-दर लगभग 30–60% हो सकती है।
- अनुपचारित न्यूमोनिक प्लेग को लगभग हमेशा घातक माना जाता है।
- प्लेग का उपचार सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन एवं डॉक्सीसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक से किया जा सकता है।
- इसलिए, घातक परिणामों को रोकने के लिए शीघ्र निदान और एंटीबायोटिक उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

चर्चा में रहे आज के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

चर्चित स्थल	ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध

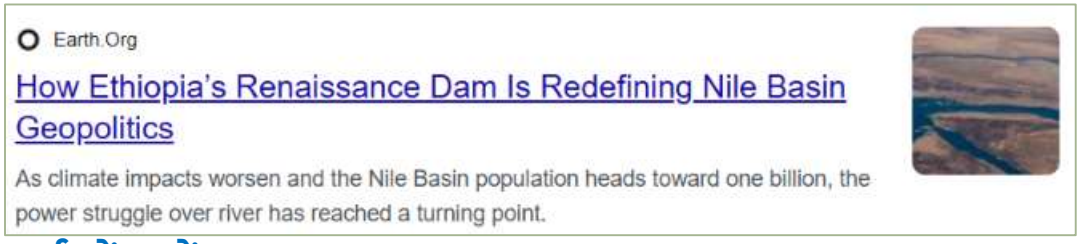

चर्चा में क्यों

ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध (GERD) के पूर्ण संचालन से नील नदी के जल के उपयोग को लेकर इथियोपिया, मिस्र एवं सूडान के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद अधिक तीव्र हो गया है।

भौगोलिक परिचय

- GERD इथियोपिया के बेनिशांगुल-गुमुज़ क्षेत्र में सूडान की सीमा के पास स्थित है।
- यह नील की प्रमुख सहायक नदियों में से एक 'ब्लू नील' पर बनाया गया है।
- इस परियोजना को पहले मिलेनियम बाँध के नाम से जाना जाता था।

- इसका निर्माण अप्रैल 2011 में शुरू हुआ।

अभियांत्रिकी और क्षमता

- GERD की स्थापित क्षमता 6.45 गीगावाट है जिससे यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र बनता है।
- इसका मुख्य बाँध 170 मीटर ऊँचा, रोलर-कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) गुरुत्व बाँध है।
- कंक्रीट की परत वाले 5 किलोमीटर लंबे सहायक रॉकफिल बाँध भी इस परियोजना का हिस्सा हैं।
- इसका जलाशय लगभग 1,875 वर्ग किमी. में फैला है और इसमें 74 अरब घन मीटर तक पानी जमा किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन

- इस परियोजना में बिजली उत्पादन की 16 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 375 मेगावाट है।
- यह जलाशय एक गहरी घाटी में स्थित है, इसलिए इसके विशाल भंडारण आयतन की तुलना में इसका सतही क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है।
- इस परियोजना का स्वामित्व इथियोपियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (EEPCO) के पास है।

भू-राजनीतिक आयाम

- मिस्र एवं सूडान ने चिंता जताई है कि GERD के कारण नीचे की ओर उपलब्ध नील नदी के पानी की मात्रा और उसकी उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता कम हो सकती है।
- यह विवाद जल सुरक्षा, संप्रभुता, जलविद्युत विकास और सीमा-पार नदी शासन को आपस में जोड़ता है।
- इसलिए GERD, ऊपरी प्रवाह वाले क्षेत्रों के विकास हितों और निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों की जल-सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच तनाव का एक

	प्रमुख उदाहरण है।
पर्यावरण	**नामेरी बाघ अभयारण्य** DD News Assam's Nameri Tiger Reserve gets global recognition for conservation practices The Nameri Tiger Reserve in Assam has received global recognition for conservation of big cats and protected forest management,...  **चर्चा में क्यों** असम के नामेरी बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या तीन वर्षों में 3 से बढ़कर 12 हो गई है जो बाघों की आबादी में उल्लेखनीय सुधार का संकेत है। **भौगोलिक अवस्थिति** • नामेरी बाघ अभयारण्य असम के सोनितपुर ज़िले के उत्तरी भाग में स्थित है। • इसकी उत्तरी सीमा अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिज़र्व से लगती है। • यह रिज़र्व नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रुपाई वन्यजीव अभयारण्य, नदुआर आरक्षित वन व बालीपारा आरक्षित वन से बनाया गया था। **नदीय और वन पारितंत्र** • इस क्षेत्र का जल-निकास जिया भोरोली नदी और दीजी, दिनाई, दोइगुरुंग, नामेरी, दिकोरोई तथा खारी जैसी सहायक नदियों से होता है। • जिया भोरोली गोल्डन महशीर के लिए प्रसिद्ध है जिसे आम तौर पर 'भारतीय नदियों का बाघ' कहा जाता है। • यहाँ की वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध-सदाबहार एवं आर्द्र पर्णपाती वन के साथ ही बेंत के झुरमुट व घास के मैदान शामिल हैं। **वन्यजीव महत्त्व** • यहाँ के प्रमुख जीव-जंतुओं में तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, जंगली कुत्ता व एशियाई हाथी शामिल हैं। • बाघों की संख्या में वृद्धि से अरुणाचल प्रदेश से सटे इस सीमापार भू-दृश्य का संरक्षण महत्त्व अधिक बढ़ जाता है।

	• यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में हॉलोंग, नाहोर, सिमुल, ऑर्किड एवं औषधीय पौधे शामिल हैं।
रक्षा	**M51.3 मिसाइल** The Hindu France test-fires new nuclear-capable missile: Defence Ministry France tests its new M51.3 nuclear-capable missile from a submarine, fire unarmed, observed by Macron, amid Europe's rising security...  **चर्चा में क्यों** फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल M51.3 का पहला परीक्षण प्रक्षेपण किया। **मिसाइल के बारे में** • M51.3 फ्रांस द्वारा विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) है। • इसे एरियनग्रुप ने विकसित किया और यह 24 अक्टूबर, 2025 को सेवा में शामिल हुई। • यह M51 मिसाइल परिवार का एक अन्य उन्नत संस्करण है। **तकनीकी विशेषताएँ** • यह मिसाइल तीन चरणों वाली ठोस प्रणोदक प्रणाली है जिसका वज़न 50 टन से अधिक और लंबाई लगभग 12 मीटर है। • इसमें TNO-2 महासागरीय परमाणु वारहेड हैं। • सार्वजनिक अनुमानों के अनुसार, M51 परिवार की मिसाइलों की मारक दूरी लगभग 9,000 किमी या उससे अधिक है जबकि बताया जाता है कि नवीनतम संस्करण की मारक क्षमता इससे भी अधिक है। 

	• इसकी नौवहन प्रणाली अन्य प्रणालियों के साथ-साथ यूरोप की गैलीलियो उपग्रह नौवहन प्रणाली का उपयोग करती है। **रणनीतिक महत्त्व** • M51.3 को फ्रांस की अगली पीढ़ी की SNLE 3G रणनीतिक परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के लिए विचाराधीन रखा गया है। • इन पनडुब्बियों से 2035 के बाद ले ट्रायम्फेंट (Le Triomphant) श्रेणी की पनडुब्बियों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित किए जाने की अपेक्षा है। • यह प्रणाली फ्रांस की समुद्र-आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर आधारित उसकी परमाणु त्रयी के घटक को मजबूत करती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट** PIB DRDO Conducts Maiden Live Jump of Advanced High-Altitude Parachute Defence Research and Development Organisation (DRDO) conducted the maiden live jump of the Advanced High-Altitude Parachute (AHAP) at one of...  **चर्चा में क्यों** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लद्दाख के न्योमा (मुध DZ) में स्वदेशी उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट (AHAP) से पहली बार वास्तविक पैराशूट छलाँग कराई। **प्रौद्योगिकी और विकास** • AHAP एक स्थैतिक-लाइन पैराशूट प्रणाली है जिसे पैराट्रूपर्स को बड़ी संख्या में एक साथ उतारने के लिए बनाया गया है। • इसे DRDO के वायु वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ADRDE), आगरा द्वारा डिज़ाइन व विकसित किया गया था। • इस प्रणाली का निर्माण ऑर्डनेंस पैराशूट फ़ैक्टरी (OPF), कानपुर ने किया

था।

- इसे सेंटर फ़ॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफ़िकेशन (CEMILAC), RCMA कानपुर ने प्रमाणित किया था।

परिचालन क्षमताएँ

- यह पैराशूट परिचालन में लचीलापन प्रदान करने के लिए तैनाती के कई तरीके उपलब्ध कराता है।
- इसकी परिचालन क्षमता 18,000 फ़ीट तक की ऊँचाई के लिए है।
- इसके अवरोहण दर को ऊँचाई वाले भूभाग में कार्यरत भारतीय रक्षा बलों की सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।

ऊँचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा के लिए प्रासंगिकता

- ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्टैटिक-लाइन से छलाँग लगाना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि पैराशूट खुलने पर तेज़ झटका लगता है और अवरोहण दर बढ़ जाती है।
- स्वदेशी AHAP तकनीक दुर्लभ पर्वतीय भूभाग में भारत की हवाई मार्ग से सैनिक तैनात करने की क्षमता को मज़बूत कर सकती है।

CEMILAC

- सीईएमआईएलएसी (CEMILAC), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रमाणन एजेंसी है जो सैन्य विमानों व वायुवाहित प्रणालियों के प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है।
- इसकी उड़ान-योग्यता संबंधी जिम्मेदारियाँ सैन्य उड़ान-योग्यता के 14 क्षेत्रीय केंद्रों (RCMA) के माध्यम से निभाई जाती हैं।
- CEMILAC व RCMA, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं, सरकारी एजेंसियों, आयुध कारखानों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों द्वारा विकसित वायुवाहित उत्पादों को प्रमाणित करते हैं।

उत्तर प्रदेश विशेष

₹90,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों



औद्योगिक विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने जापानी कंपनियों के साथ लगभग ₹90,000 करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापन किए हैं।

आर्थिक सहयोग

- निवेश का लक्ष्य विनिर्माण, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि, हरित हाइड्रोजन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं।
- इस साझेदारी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

सांस्कृतिक कूटनीति

- काशी-क्योटो संबंध वाराणसी (भारत) और क्योटो (जापान) के बीच सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।
- काशी में आबे स्मृति गलियारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में बनाया गया है।
- यह दृष्टिकोण 'काशी से क्योटो तक, आस्था से अर्थव्यवस्था तक' सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक विकास से जोड़ता है।

रक्षा औद्योगिक विकास

- उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में छह नोड शामिल हैं: लखनऊ, कानपुर, झाँसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट।
- जापान का सहयोग रक्षा विनिर्माण, औद्योगिक निवेश एवं रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत कर सकता है।